उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 प्रधान कार्यालय , 10, माल एवेन्यू, लखनऊ।

परिपत्र सं0– सी- 53 /वसूली/ओ0टी0एस0/2019–20 दिनांक– 14.11.19

समस्त प्रभारी/शाखा प्रबन्धक/वरि0प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः 'एकमुश्त समाधान योजना (OTS) 2018' का मार्च 2020 तक विस्तार।

प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं0 सी–02/वसूली/ओ.टी.एस/2018–19 दि0 05.04.18 द्वारा **बैंक में "एक मुश्त समाधान योजना–2018"** लागू की गयी थी। जिसे पुनः **दि0 28.05.19 से 30.06.19 तक एवं दि0 01.07.19 से दि0 31.07.19** तक के लिये विस्तारित किया गया था। उक्त अवधि समाप्त होने के दृष्टिगत कृषकों को बकाया अदा करने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के क्रम में **'एक मुश्त समाधान योजना'** को प्रतिमाह विस्तार प्रदान करते हुये मार्च 2020 बढ़ाये जाने एवं योजना की अन्य शर्ते एवं नियम अन्तिम चरण में लागू व्यवस्था के अनुरूप किये जाने हेतु आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ0प्र0 से अनुरोध किया गया था।

प्रश्नगत प्रकरण में शासनादेश सं0 1933/49–01–2019–06(32)/13टीसी–1 दि0 13 नवम्बर 2019, सहकारिता अनुभाग–1 एवं कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ0प्र0 के पत्र सं0 3091–92/ अधि0–3/ओटीएस/2019–20 दि: 14.11.2019 द्वारा **'एक मुश्त समाधान योजना 2017–18'** का **विस्तार मार्च 2020 तक किये जाने की सहमति प्रदान की गयी है।**

सन्दर्भित योजना की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की गयी है कि शासनादेश सं0 2217/49–01/2017–06 (32)/13 दिनांक 30 जनवरी 2018 में निर्गत शर्ते एवं प्रतिबन्ध अन्तिम चरण में लागू व्यवस्था के अनुरूप यथावत् रहेंगे। योजना का विस्तार पत्र निर्गत की तिथि से मार्च 2020 तक किया गया है।

अतः उक्तानुसार प्राप्त स्वीकृति के क्रम में बैंक परिपत्र सं0 सी–02/वसूली/ओ.टी.एस./2018–19 दि0 05.04.18 द्वारा **बैंक में लागू की गयी "एक मुश्त समाधान योजना–2018"** का विस्तार मार्च 2020 तक के लिये किया जाता है। उक्तानुसार अल्प अवधि हेतु प्रदान की गयी स्वीकृति के दृष्टिगत योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करके अधिकाधिक बकायेदार कृषकों को लाभान्वित करते हुए बैंक की वसूली में तत्काल वृद्धि लाना सुनिश्चित करें।

(अन्द्रा वामसी)आई0ए0एस0
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अधिकारीगण उ0प्र0 सह0 ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0/प्रशि0 केन्द्र लखनऊ।
3. प्रबन्धक(कम्प्यूटर), को बैंक की समस्त शाखाओं, क्षेत्रीय प्रबन्धकों एवं समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को ई0मेल0 कराने हेतु।
4. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता उ0प्र0।
5. समस्त उप आयुक्त एवं उप निबन्धक सहकारिता उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ।
9. निजी सचिव, मा0 सभापति प्र0का0 लखनऊ, मा0 सभापति महोदय के अवलोकनार्थ।
10. आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उत्तर प्रदेश को सादर अवलोकनार्थ।
11. प्रमुख सचिव सहकारिता, उ0प्र0 शासन लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या–1933 /49–01–2019–06(32)/13टीसी–1

प्रेषक,

एम0वी0एस0 रामी रेड्डी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग–1 लखनऊ:दिनांक:13 नवम्बर,2019

विषय:– **उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 में लागू एक मुश्त समाधान योजना 2017–18 की अवधि मार्च,2020 तक बढ़ाये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्रांक–2929/अधि0–03 दिनॉक 06–11–2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनदेश सं0–2217/49–01–2017–06(32)/13 दिनॉक 30 जनवरी,2018 एवं शासनादेश सं0–689/49–01–2019–06(32)/13टीसी–1 दिनॉक 27 मई,2019 एवं सं0–1072/49–01–2019–06(32)/13टीसी–1 दिनॉक 28 जून,2019 द्वारा उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 में लागू एक मुश्त समाधान योजना 2017–18 की अवधि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त मार्च,2020 तक विस्तारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त शासनादेश दिनॉक 30 जनवरी,2018 में इंगित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेगें। योजना शासनादेश निर्गत होने की तिथि से मार्च,2020 तक लागू मानी जायेगी।

भवदीय,

(एम0वी0एस0 रामी रेड्डी)
प्रमुख सचिव।

पत्रांक–1933(1)/49–01–2019 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 लखनऊ को उनके कार्यालय पत्रांक–39301–02/वसूली/ओटीएस/2019–20 दिनॉक 04 नवम्बर, 2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
विशेष सचिव।